राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 23/2020

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

वादी :–

पुनाराम पुत्र श्री नरींग जाति – जाट, आयु– 57वर्ष, निवासी–राजपुरा(बेरा उबरनी), तहसील–देसूरी, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कुपाराम पुत्र कलीया आयु 70 वर्ष
2. देवाराम पुत्र कलीया आयु 65 वर्ष
3. टीकमराम पुत्र पना, आयु 47 वर्ष
4. मगनी पत्नी पना आयु 80 वर्ष
5. मांगीलाल पुत्र पना आयु 45 वर्ष
6. मालाराम पुत्र पना आयु 52 वर्ष

   तमाम जातिगण–जाट, निवासीगण–राजपुरा (बेरा उबरनी), तहसील–देसूरी जिला – पाली (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा – 88,89 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री हुकमसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक:– 31.03.2021**

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मौजा सरहद गांव– राजपुरा, पटवार हल्का–माण्डीगढ़, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) मे स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान रूपये 3.25 की जमीन मृतक नरींग वल्द गला कौम जाट सा देह खातेदार की कब्जा एवं काश्त सुदा खातेदारी की भूमि है। सेटलमेन्ट के दौरान मौजा ग्राम– राजपुरा के पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 11 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 2 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

0.7300 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल व खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा – 02 कुल रकबा– 1.1900 हैक्टर लगान रूपये 20.23 बनाये गये ।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की जमीन मृतक नरींग वल्द गला कौम जाट सा देह खातेदार की खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा हैं व प्रार्थी मृतक नरींग का पुत्र हैं एवं बहैसियत मालिक के उक्त आराजीयात पर काबिज हैं एवं सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजीयात पर काबिज हैं एवं सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बिघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.1900 हैक्टर बनाये गये परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के बिना किसी जांच पड़ताल के उक्त नये खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल रकबा 1.1900 हैक्टर की जमीन को मृतक नरींग वल्द गला के वारिस प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज करने के बजाय उक्त आराजीयात को पना, कुपा, देवा पिसरान कलीया जाति–जाट सा देह खातेदार के नाम पर दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट विभाग ने गलत इन्द्राज किया है। सेटलमेन्ट विभाग को कानूनी तौर से पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में करना था परन्तु ऐसा न करके सेटलमेन्ट विभाग ने कानूनी भूल की हैं एवं सेटलमेन्ट विभाग का इन्द्राज शून्य हैं एवं सेटलमेन्ट विभाग का इन्द्राज प्रार्थी के विरूद्ध बेअसर हैं एवं ऐसे इन्द्राज से पना, कुपा, देवा पिसरान कलीया को कोई कानूनी खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं, मौके पर विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त प्रार्थी का हैं एवं मात्र राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट के दौरान पना, कुपा, देवा का इन्द्राज हुआ व पना की मृत्यु पर टीकमराम, मगनी, मांगीलाल, मालाराम का इन्द्राज मात्र राजस्व रेकर्ड में कागजात में हुआ हैं ऐसा इन्द्राज शून्य हैं एवं ऐसे मात्र कागजों में इन्द्राज से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को कोई कानूनी खातेदारी हक अधिकार पैदा नही होते है, एवं पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की जमीन पर मृतक नरींग वल्द गला के जीवनकाल के दौरान मृतक नरींग वल्द गला का कब्जा था एवं नरींग की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त एकमात्र प्रार्थी का बतौर खातेदार के चला आ रहा हैं एवं मौके पर प्रार्थी की काश्त हैं व मौके पर प्रार्थी द्वारा उक्त जमीन के चारों तरफ धोरा पाली, माठ किये हुये हैं व कुआ [illegible] हैं व कुंआ का उपयोग अपनी जमीन की सिंचाई हेतु प्रार्थी [illegible] हैं [illegible] की मृतक नरींग

पेज नम्बर 3 पर लगातार.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

के जीवनकाल से ही उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर काश्त करता आ रहा हैं, जिससे प्रार्थी का मौके पर एडवर्स पजेशन भी हो चुका हैं जिससे पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया जाना न्यायसंगत है एवं नये खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर किस्म नही अव्वल कुल रकबा 1.1900 हैक्टर की आराजीयात को प्रार्थी के नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगाय 6 का नाम विलोपित कर उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थी के नाम की खातेदारी का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत हैं इस हेतु प्रार्थी की ओर से उक्त वाद खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु हस्ब धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है।

यह कि उक्त आराजीयात प्रार्थी की पुरानी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि हैं एवं मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त हैं। मृतक नरींग के जीवनकाल के दौरान उक्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की जमीन पर नरींग का कब्जा काश्त रहा एवं नरींग की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त बतौर मालिक के प्रार्थी का निरन्तर लगातार अप्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा हैं जिससे प्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर एडवर्स पजेशन भी हो चुका है। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी को विलोपित कर पना, कुपा,देवा, पिता कलीया के नाम पर बिना किसी आधार के गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही शून्य है। अभी दस–बीस रोज पहले अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 6 विवादग्रस्त आराजीयात पर आये एवम् अप्रार्थी को यह धमकी दी कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में हमारे नाम पर दर्ज है। जिससे मौके पर से कब्जा हटा देना अन्यथा जबरदस्ती बलपूर्वक हम तुम्हे बेदखल कर देंगे व अगर कब्जा नही हटाया तो राजस्व में नाम का फायदा उठाकर जमीन को आगे से आगे हस्तान्तरण कर देंगे जिस पर प्रार्थी के पिताजी नरींग वल्द गला के नाम की पुरानी खातेदारी भूमि को पना, कुपा, देवा पिता कलीया के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जिससे प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी को सफलता के ठोस एवम् पर्याप्त आधार व आसार है, प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थी के पक्ष में है।

यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद ... निर्णय में लम्बा समय लगेगा जबकि उक्त आराजीयात प्रार्थी की पुरानी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि हैं। जिस पर मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 4 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नरींग के जीवनकाल के दौरान उक्त आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की जमीन पर नरींकग का कब्जा काश्त रहा एवम् नरींग की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त बतौर मालिक के प्रार्थी का निरन्तर लगातार अप्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा है जिससे प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन भी हो चुका है। सिर्फ सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी को मौके पर से जबरदस्ती बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है एवम् जमीन को मात्र राजस्व रिकोर्ड में नाम का फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करने व हस्तान्तरण करने पर आमादा है, परन्तु अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अन्यथा प्रार्थी अपनी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि से वंचित हो जायेगा एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवम् प्रार्थी अपनी पुश्तैनी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग व काश्त से महरूम रह जायेगा। अप्रार्थीगण के इस अवैध कृत्य से प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवम् अनावश्यक वाद विवाद बढेगा एवम् अप्रार्थीगण मौके पर टण्टा फसाद करेगे।जिससे प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा एवम् प्रार्थी के मूल वाद का मकसद भी समाप्त हो जायेगा जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्याय हित में जारी की जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवम् मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा सरहद गांव राजपुरा, पटवार हल्का माण्डीगढ तहसील–देसूरी में प्रार्थी की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.1900 हैक्टर की आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नही करें व न ही किसी अन्य से करावें व जमीन को खुर्द बुर्द नही करें, दखलन्दाजी हस्तक्षेप नही करे व जमीन को किसी अजनबी केता को हस्तान्तरण नही करें एवम् मूल वाद के निर्णय तक मौका एवम् रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिये नोटीस तलब

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 5 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 बावजूद नोटीस तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील दिनेश कुमार माली ने वकालत नामा पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 11 मिन रकबा 8 बिघा 4 बिस्वा मृतक नरींग वल्द गलाजी के खातेदारी होने के संबंध में प्रार्थी स्वयं साबित करे। पुराने खसरा नम्बर 11 मीन (11/2) अप्रार्थीगण के पिता दादा कलीया पुत्र वनाजी के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की विद्यमान होने से बनने वाले नये खसरा संख्या 11 व 12 दौराने भू–प्रबन्ध कार्यक्रम अप्रार्थीगण के पिता का निधन होने से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 243 के जरिये अप्रार्थीगण वारीसान के नाम दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 16, 17, 18 कुल रकबा 1.1400 हैक्टर भूमि वर्तमान सवत् 2073–76 के खाता संख्या 35 में नरींग पुत्र गलाजी के वारीसान के नाम से दर्जहै जिसको छुपाते हुए प्रार्थी ने भू–अधिकार अभिलेखो की वास्तविकता के बावजूद सशपथ मिथ्या रूपेण प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह है कि नरींग वल्द गलाजी के नाम की आराजी हाल खसरा संख्या 16, 17, 18 कुल रकबा 1.1400 हैक्टर भूमि वर्तमान सवत् 2073–76 के खाता संख्या 35 में दर्ज है। भू–प्रबन्ध द्वारा सही कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी के पूर्व खातेदारी अनुसार सही दर्ज कर पर्चा लगान और पर्चा खतौनी तैयार की गई है जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं हुई जो पूर्व की जमाबन्दी सवत् 2035–38 के खाता संख्या 07 के इन्द्राज कालीया पुत्र वनाजी के नाम होने से हाल जमाबन्दी के खसरा संख्या 11, 12 में सही इन्द्राज की गई। इस प्रकार भू प्रबन्ध के आदेशो के विरूद्ध प्रार्थी यदि प्रिज्युडिश है तो भू–प्रबन्ध आदेश की अपील कर सकता है दुरस्ती के बहाने प्रार्थी के खसरा संख्या 16, 17, 18 की खातेदारी के साथ अन्य अर्थात अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।अप्रार्थीगण के नाम खसरासंख्या 11, 12 की आराजी विधि पूर्वक और पुराने खाते अनुसार सही इन्द्राज की गई है जो किसी प्रकार से शून्य नही है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11, 12 पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। खातेदारी कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति के एडवर्स पजेशन नही हो सकता है।प्रार्थी को अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के संबंध में वाद पेश करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। ना ही प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा का अधिकारी नही हैं।प्रार्थी किसी प्रकार से माफिक रिकोर्ड सफल [illegible] नही है। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 6 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि नरींग के खातेदारी भूमि केहाल खसरा नम्बर 16, 17, 18 कुल रकबा 1.1400 हैक्टर भूमि वर्तमान संवत् 2073–76 के खाता संख्या 35 में इन्द्राज है जो नरींग के वारीसान के नाम से दर्ज है। जिससे प्रार्थी का वाद बाबत घोषणा और रिकोर्ड दुरूस्ती का परिपोषणीय नही है। खातेदारी कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति के एडवर्स पजेशन नही हो सकता है, प्रार्थी का किसी प्रकार से अप्रार्थीगण की कब्जा सुदा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 11, 12 पर एडवर्स पजेशन नही हुआ है। प्रार्थी का यह कथन अपने आप में ही स्वीकार करता है खसरा नम्बर 11, 12 की आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है जिसमे प्रार्थी का कोई विधिक हक अधिकार नही है। प्रार्थीका वाद भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जारी जमाबन्दी और दिये गये आदेशो के विरूद्ध होने से प्रार्थी का वाद म्याद विधि से वर्जित है। प्रथम दृष्टया ही वादी का वाद परिपोषणीय नही है, प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद और प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नही है, ना ही अप्रार्थीगण की आराजी को उपयोग उपभोग करने से अप्रार्थीगण को रोकने का प्रार्थी को हक अधिकार है। अप्रार्थी के कब्जा काश्त ओर खातेदारी को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है तो प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त और खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे और अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयो पैसो से नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का आदेश प्रदान करावे।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया–

प्रथम दृष्टया मामला – वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 11 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की जमीन मृतक नरींग वल्द गला की खातेदारी की कब्जा एवम् काश्त सुदा थी। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 व खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर बनाये गये, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के उक्त वादग्रस्त आराजी ... गला के वारिस प्रार्थी की खातेदारी दर्ज करने के बजाय अप्रार्थीगण ... मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 7 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि पुराने खसरा नम्बर 11 मीन (11/2) अप्रार्थीगण के पिता दादा कलीया पुत्र वनाजी के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त थी। जिसके नये खसरा नम्बर 11 व 12 दौराने भू–प्रबन्ध की कार्यक्रम के दौरान बने। खसरा नम्बर 16, 17, 18 कुल रकबा 1.1400 हैक्टर भूमि वर्तमान सवत् 2073–76 के खाता संख्या 35 में नरींग पुत्र गलाजी के वारीसान के नाम से दर्ज हुई है। यह तथ्य प्रार्थी द्वारा जानबुझकर छुपाते हुए मात्र अप्रार्थीगण को तंग करने की नियत से पेश किया है। सेटलमेन्ट विभाग सही कार्यवाही की गई जिसमें किसी प्रकार की भूल नही हुई है।

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर व खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल खसरा–2 रकबा 1.1900 हैक्टर अप्रार्थीगण की खातेदारी की होना जमाबन्दी सवत् 2073–76 से साबित होता है। इस तथ्य को प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना–पत्र मे स्वीकार कर रहे है। जिससे वादग्रस्त आराजियात मे विधिक रूप से प्रार्थी के किसी प्रकार के कोई हक अधिकार निहित नही होना प्रथम दृष्टया साबित है। हालांकि खातेदारी हक अधिकारो के संबंध मे साक्ष्य आदि से मूल वाद के गुणावगुण पर निर्णय होगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का सन्तुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा सन्तुलन बिन्दु पर विचार किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर व खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल खसरा 2 रकबा 1.1900 हैक्टर अप्रार्थीगण की प्रथम दृष्टयता रिकोर्डेड खातेदारी है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी। जिससे सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपूरणीय क्षति –अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। प्रार्थी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हुए राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज का अप्रार्थीगण फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करने व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर भारी कुठारागात होगा। इस संबंध में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम से वादग्रस्त आराजी बत[illegible]दार दर्ज है जिससे प्रार्थी का कोई विधिक हक अधिकार नही[illegible] आराजी की उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 8 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपभोग करने से रोकने का प्रार्थी को हक अधिकार है इसलिए अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी की आराजी को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त और खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे और अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7300 हैक्टर व खसरा नम्बर 12 रकबा 0.4600 हैक्टर कुल खसरा 2 रकबा 1.1900 हैक्टर के रिकोर्डेड खातेदार है। यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को वर्तमान स्थिति के अनुसार क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना सम्भंव नही होगा तथा प्रार्थी को ऐसी कोई क्षति नही होगी जिसका मूल्याकन रूपयो पैसों से नही किया जा सके। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दुओ प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक– 31/03/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested